बिहार सरकार
उद्योग विभाग

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली

1981

[illegible] सचिवालय, मुद्रणालय [illegible]
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1985

अधिसूचना

2 फरवरी 1982

संख्या 1974 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम,16,1974) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार निम्नलिखित नियमवाली बनाती है-

1. संक्षिप्त नाम- यह नियमावली बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली 1981 कहलायेगी।

2.परिभाषा-अब तक कोई बात विषय में संदर्भ के बिरुद्ध न तो इस नियमावली में-

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार 1974 (बिहार अधिनियम,16,1974)

(ख) धारा का अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(ग) नियम का अभिप्रेत है नियमावली की अनुसूची का पालन।

(घ) अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये

दिये गये है।

3. प्राधिकार के प्रबन्ध निदेशकों को अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन सरकार/प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कर्तव्यों का सौपा जाना प्रबन्ध निदेशकों को सरकार/प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कर्तव्यों को सौपा जाता है -

---

-

(1) भू-खण्डों के आवंटन एवं विखण्डन की शक्ति,

(2) एक लाख रुपये तक प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीदगी,

(3) पचास हाज रुपये तक के स्थिर अस्थि पर खर्च की मंजूरी,

(4) एक लाख रुपये तक की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

4. अधिनियम की धारा (4)(1) के अधीन विकास क्षेत्र की घोषणा के बिरुद्ध आपत्ति -(1)अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के कम-से-कम दो महीन पहले राज्य सरकार शासकीय गजट में और बिहार में प्रकाशित कम-से-कम दो अंग्रेजी और दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायेंगी। जिसमें अधिकथित रहेंगी कि ऐसी घोषणा करने का प्रस्ताव है और उसमें उस भूमि या उन भूमियों की सीमाएँ विनिर्दिष्ट रहेगी जिसके या जिनके संबंध में घोषण करने का प्रस्ताव है तथा संबंधित जिला दडांधिकारी एवं

संबंधित औद्योगिक प्राधिकार ऐसी अधिसूचना का उसके सारांश की प्रतियाँ ऐसी रीति से जो वह उचित समझे अपने कार्यालय में और अपनी अधिकारिता के एसी अन्य स्थानों पर जो उनकी
राय में प्रस्तावित घोषणा से हितबद्ध या हितबद्ध हो सकने वाले, व्यक्तियों की पर्याप्त सूचना देंगे के लिए उपयुक्त हो, प्रकाशित करेगा। इस अधिकारिता के अर्न्तगत यह इलाका भी है जिसमें उक्त भूमि का भूमियाँ पड़ती है।

(2)उक्त सीमाओं में शामिल किसी भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति इस नियम के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अंतिम तारीख से 30 दिन बीतने के पहले किसी भी समय घोषणा किये जाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपनी भूमि या उसके भाग के शामिल किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

(3) इस नियम के उप नियम (2) के अधीन हरेक आपत्ति जिला दंडाधिकारी के पास लिखित रुप में दीं जायेगी और जिला दंडाधिकारी आपत्ति करने वाले हरेक व्यक्ति को या तो स्वंय या अधिवक्ता के मारफत अपनी सुनवाई कराने का अवसर देगा और ऐसी अतिरिक्त जॉच करने के बाद और वह आवश्यक समझें आपत्ति फाईल
वी जाने के तीन दिनों के भीतर उन पर अपनी सिफारिश देते हुए राज्य सरकार को एक रिर्पोट भेजेगा।

(4)राज्य सरकार इस नियम के उप नियम (3) के अधीन जिला दंडाधिकारी की रिर्पोट विचार करने और प्राधिकार का विचार प्राप्त कर लेने के बाद या तो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव छोड़ देगी या इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पड़ने वाली संपूर्ण भूमि या उसके भाग या भागों के संबंध में घोषणा कर सकेगी।

(5) यदि इस नियम के उप नियम (2) द्वारा निहित समय वीतने के पहले कोई आपत्ति नहीं की गई तो जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार को उस आशय की रिर्पोट तुरन्त भेज देगा, और अब राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 को उप धारा (1) के अधीन घोषणा कराने की तुरन्त कार्यवाही कर सकेगी।

6. अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन विकास क्षेत्र की किसी संरचना या भवन का निर्माण या परिवर्तन करने अथवा उसे तोड़ डालने के लिए प्राधिकार का अनुमोदन--

(1) प्राधिकार से अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक हरेक व्यक्ति इस नियमावली से उपावद्ध फारम में प्राधिकार को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ इंजीनियरिंग की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले किसी इंजिनियर द्वारा तैयार उस निर्माण को जिसे तोड़ना हो, स्थल रेखा का (ग्राउन्ड) (प्लान) उत्पादन और अवस्थित तथा निर्देश भी दिये रहेगे।

(2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकार ऐसी पूछताछ के बाद जो वह आवश्यक समझें,लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तो और उपान्तरणों के अध्याधीन.जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो अनुमोदन देगा या देने से इन्कार कर देगा।

(3)प्राधिकार के आदेश के बिरुद्ध 30 दिनों के अन्तर्गत अपील राज्य सरकार के पास हो सकता है और एसी अपील में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा

(4) उद्यमियों द्वारा निर्धारित समय पर भूमि के मूल्य के किस्तों का नहीं देने या किस्तों के नहीं देने पर दंड स्वरुप दंड सूद वसूल करने का अधिकार प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(5) उद्यमियों के द्वारा निर्धारित समय पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने या उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाने पर प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक भू-खण्डों का विखण्डन ही सिर्फ न करने उनके द्वारा जमा किये गये किस्तों को भी जब्त कर सकता है।

(7) अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्राधिकार के वार्षिक बजट का उपस्थापन -

(1) आगामी वित्त वर्ष के लिए प्राधिकार का वार्षिक बजट तैयार किया जायगा और निर्माण के आजमाईशी कार्यकम सेवाओं के लिए उपबंध तथा अन्य किया कलापों के साथ तीन प्रतियों में राज्य सरकार के पास प्रति वर्ष 15 अक्तूबर, तक उपस्थापित किया जायेगा।

(2) प्राधिकार के आय-व्ययक का प्राक्कलन यथासंभव प्राधिकार के आय के यथार्थ मूल्यांकन जिसमें अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे अनुदान कर्ज अग्रिम आदि भी शामिल है जिन्हें राज्य सरकार में आगामी वर्ष प्राधिकार को देने का संकेत किया हो तथा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड -''क'' तथा "घ" एवं धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को सौंपे गये कार्य को पूरा करने हेतु खर्च सिन्नहित हो पर निर्भर करेगा।

(3) कोई खर्च जिसका बजट में उपबंध नहीं हो या जो अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देश के बिरूद्ध हो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा समर्पित बजट में अधिनियम की धारा 8( ) के उपबंधें के अर्न्तगत निदेश देकर संशोधित कर सकती है।

(5) प्राधिकार एक वृहत लेखा शीर्षक से दूसरे में या किसी वृहत लेखा शीर्षक के भीतर निधि का पुनर्विनियोग मंजूर कर सकेगा। परन्तु राज्य सरकार से अनुमोदन के बिना ऐसी नई स्कीमों पर खर्च के लिए निधियों का पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा जो तबज में शामिल नहीं की गई हो।

8. अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्राधिकार की स्थापना- प्राधिकार 840 रू0 और उसके उपर अधिकतम मासिक वेतन वाले पदों का सृजन उन पर नियुक्ति तथा प्रोन्नति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

9. अधिनियम की धारा 14 (घ) के अधीन प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार को रिर्पोट और विवरण का उपस्थापन- (1) प्राधिकार प्रति वर्ष 30 जून के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाने वाले फारम में उसे रिर्पोट वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के संबंध में एक वार्षिक रिर्पोट उपस्थापित करेगा। रिर्पोट में वस्तुगत लक्ष्यों की उपलब्धि और अनुभूत कठिनाइयों को कार्यानात्मक विवरण भी दिया रहेगा।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकार के कार्यो को विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में रिर्पोट मॉग सकेगी और प्राधिकार नियमित समय के भीतर ऐसी रिर्पोट पेश करेगा।

10. अधिनियम की धारा 14(ड़) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशन सरकार समय-समय पर अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सिद्धान्त अधियाचित करते हुए प्राधिकार को खास तौर से निम्नलिखित संबंध में निदेशन जारी अधिकथित कर सकेगी-

(क) प्राधिकार द्वारा हाथ में लिये जाने वाले विकास कार्य का स्थापना

(ख) हाथ में लिये जाने वाले विभिन्न विकाय कार्यो की प्राथमिकता

(ग) उस क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों को दी जाने वाली सेवाओं का स्वरु और उनके लिए प्रभार फीस

(घ) प्राधिकार द्वारा किये जाने वाले एसे नगरपालिका और अन्य कृत्यों का स्वरूप और सीमा जो राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकृत करें

(ड़) भूमि के मूल्य निर्धारण भू-आवंटन किस्तों की वसूली आदि विषयों से संबंधित नीति निर्धारण।

11. औद्योगिक प्राधिकार को सलाह देने के लिए स्कीनिंग समिति का गठन प्राधिकार अपनी स्कीमों के आयोजन और निरूपण संबंधी कार्यकम के कार्यान्वयन में परामर्श देने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन में मदद देने के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकेगा।

12. अधिनियम की धारा 14 (क), (ख) और (ग) के अधीन अधिकमण और अप्राधिकृत संरचनाओं का हटाया जाना तथा भवनों का गिराया पाना

प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक प्राधिकार की भूमि पर अधिकमण के हटाये जाने तथा अप्राधिकृत भवनों और सरचनाओं के गिराये जाने के संबंध में तत्समय बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन शक्तियाँ मिलने पर मामलों के निवटारे से संबद्ध अधिनियमों और उनके अधीन बताये गये नियमों के उपबंधें के मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- अस्पष्ट

विशेष सचिव।

बि0स0मु0(उद्योग) 44-सी0जो0--1,00022-7-1985--कमला लाल

सत्यमेव जयते

Government of Bihar
Department of Industries

Bihar Industrial Area Development Authority Rules

1981

Printed by Bihar Government Press
1981

NOTIFICATION
2nd February, 1982

No.......1974 In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bihar Industrial Area Development Authority Act, 1974 (Bihar Act 16, 1974) the Government of Bihar makes the following rules:-

1. Short title: - These rules will be called the Bihar Industrial Area Development Authority rules, 1981.
2. Definitions :- In these rules, unless anything is not contrary to the subject or content:-
   (a)"Act" means The Bihar Industrial Area Development Authority Act, 1974 (Bihar Act 16, 1974);
   (b) "Section" means the section of the Act;
   (c)Other words and expression will have the same meaning Which have given for them in the Act.
3. Assignment of the following duties by the Government/Authority to the Managing Director of the Authority under clause (d) of subjection (14) of the section 3 of the Act :- The following duties are assigned by the Government/Authority to the Managing Director :-
   (1) Power of allotment and partition of plots of land;
   (2) Purchase of plant machines up to Rs 1 Lakh
   (3) Section of expenditure on structure up fifty thousand rupees.
   (4) Administrative section of project up to 1 Lakh rupees.
4. Objections against declaration of development area under section 4(1) of the Act :- (1)The State Government will, at least two months before declaration under subsection of section 4 of the Act, make notification published in the official gazette and at least two English and two daily newspapers in which it will be stated that such declaration is proposed and boundaries of such land or lands will be specified in it in respect of which making declaration is

proposed and District Magistrate of the concerned District and concerned Industrial Authority will publish copies of substantial part of such notification and in such manner which he may deem proper, in its office and on other such places of his jurisdiction which in his opinion, is for giving sufficient information of persons who are interested or likely to be interested with the proposed declaration. These areas are within this jurisdiction in which the Lands of the said Lands fall.

(2) Any person interested in any Land included in the said boundaries may object any time on declaration or inclusion of his Land or part their of within the said boundaries before the last date after 30 days of the publication of notification under sub rule (1) of these.

(3) Every objection under sub rule (2) of these rules will be given in writing before the District Magistrate and the District Magistrate will give opportunity to be heard in person or through his advocates to every person making objections and after such additional inquiry, if he thinks necessary, within three days from the filling of the objections, will sent a report to the state Government giving his recommendations.

(4) The state Government after considering the report of the District Magistrate under sub rule (3) of these rules, and taking views of the Authority will either give up the proposal of the declaration under subsection (1) of section 4 of the Act or may make declaration in respect of whole land or part or parts thereof falling within specified boundaries in the notification under sub rule (1) of these rules.

(5) If before the expiry of the period prescribed by sub rule (2) of these rules, any objection is not field, the District Magistrate forthwith will sent a report to this intent to the State Government and now the State Government may

immediately take action to make declaration under subsection (1) of section 4 of the Act.

(6) Approval of the Authority to construct or change of any structure of building or dismantle it under section 4(2) of the Act:-

(1) Every person desired to obtain approval specified in subsection (2) of section (4) of the Act from the Authority will apply in writing to the Authority in form appended to these rules accompanying with such construction, which is to be dismantled, ground plan of (land)(sketch) prepared by any engineer having degree of engineering or having equivalent qualification, production and situation and directions will have been given.

(2) On receiving such application, the Authority after such inquiry which it may deem necessary, will approve or disapprove, by order in writing, subject to such conditions and notifications which is specified in the order.

(3) An appeal may be filed against order of the Authority before the State Government within 30 days and in such appeal, the decision of the State Government will be final.

(4) The Director will have right to recover an interest as penalty on not giving installments of value of the land in time by industrialist.

(5) The Authority or the Managing Director may not only rescind the plots of land but also seize installments deposited by them on not establishing industry or not taking bonafide step for establishing industry in the prescribe period by industrialists.

(7) Production of annual budget of the authority under section 8 of the Act:-

(1) Annual budget of the Authority for forthcoming financial year will be prepared and with provisions for

tentative programme services of construction and other activities it will be produced in three copies before the State Government up to 15 October every year.

(2) Estimate of income and expenditure of the Authority, as may be possible, will depend on actual valuation of the Authority which includes such grants, debts, advances etc. and which are indicated by the State Government to give to the Authority in the forthcoming year under clause (a) of subsection (1) of section 7 of the Act and which includes expenditure for completing the work entrusted to the Authority by the State Government under clause (a) and (d) of subsection (4) of section 3 of the Act.

(3) Any expenditure, provisions of which is not in the budget or which is against the directions issued under subsection (1) of section 8 of the Act, will not made without the prior approval of the State Government.

(4) The State Government cannot make amendment in the budget produced by the Authority by giving directions under the provisions of section 8 of the Act.

(5) The Authority may sanction re appropriation of funds within Major Account Heads to another Major Account Heads but re appropriation of funds will not be made, without the approval of the State Government, for expenditure on such schemes which are not included in the budget.

(8) Establishment of the Authority under section 5 of the Act:- The Authority will not make post creation of the posts of maximum monthly pay of Rs 840/- and above appointment and promotion to it without the prior approval of the State Government.

(9) Production of report and statements before the State Government by the Authority under section 14(d) of the Act:-

(1) The Authority will produces an annual report in respect of its duties, powers and responsibilities during the reporting year in the form to be prescribed by the State Government by 30th June every year. The report will include achievements of factual aims and faced difficulties.

(2) The State Government may call for report from time to time in respect of specified items of work of the Authority and the Authority will submit such report within the regular period.

(10) The State Government may, under section 14(e) of the Act, state the directions specially to the Authority requisitioning principles for the achievements of aims of the Act, from time to time, in respect of the following:-

(a) Establishment of development work taken by the Authority;

(b) Preference of different development works taken;

(c) Structure of services given to the industrial units in that area and fees charged there for;

(d) Structure and limit of such Municipal and other functions discharged by the Authority which the State Government may authorize.

(e) Determination of policies relating to the subject value assessment of land, recovery of installments of Land allotments etc.

(11) Constitution of screening committee for advising to the Industrial Authority:- The Authority may appoint committee for giving advice in carrying out programme relating to the planning and presentation of its schemes and giving assistance in the implementation of the schemes.

(12) Removing encroachments and unauthorised structures and dismantling buildings under section 14 (a), (b), (c) and (e) – The Authority or the Managing Director will obtain guidelines of the provisions of Rules stated

under the Acts and thereunder in respect of removal of encroachment on land and dismantling the unauthorised building and structures and for disposal of cases on receiving powers under the provisions of the Land Acquisition Act or any other law for the time being enforced.

By order of the Governor,
Of Bihar
Sd/ illegible
Special Secretary